

पत्रांक-05/बी01-06/2016
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

निदेशक, (शोध एवं प्रशिक्षण),
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट)
(संलग्न विवरणी अनुसार)।

पटना, दिनांक

विषय :- वित्तीय वर्ष-2016-17 में गैरयोजना अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के स्थापना मद में अतिरिक्त आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या-21, मुख्यशीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-003-प्रशिक्षण, उपशीर्ष-0006-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, विपत्र कोड-एन 2202800030006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अंकित राशि रू0 91,78,000/- (इक्यानवे लाख अठहत्तर हजार रू0) मात्र आपको निम्न प्रकार अतिरिक्त आवंटित की जाती है।

2. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि0-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009, 423 दिनांक-31.03.2016, 2793 दिनांक-04.04.2016 एवं 4572 दिनांक-03.06.2016 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
4. प्राप्त आवंटन से विधिवत रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाये।
5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।
7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।


8. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना वित्त विभाग को यथा समय उपलब्ध कराने हेतु संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।
9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
10. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।
11. मितव्ययिता अवश्य बरतें।

विश्वासभाजन,
ह0/-

ज्ञापक:- 150

निदेशक, (शोध एवं प्रशिक्षण)
पटना, दिनांक:- 31/01/16


प्रतिलिपि:-संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), /निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण (कोषांग)/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/संबंधित सहायक प्रशाखा-05/आई०टी०मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक, (शोध एवं प्रशिक्षण)
यु० (अ०) (स०)

द्वितीय वर्ष 2016-17 मांग संख्या-21, मुख्यशीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-003-प्रशिक्षण-उपशीर्ष-0006-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोड-एन 2202800030006 में अतिरिक्त आवंटन।

क्र० सं०	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण का नाम	जिला	वेतन	जीवन यापन भत्ता	भकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन एवं भत्ते	विद्युत प्रभार	यात्रा व्यय	वर्दी / पोशाक	कुल योग	अभिवृत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रामगंज, खगड़िया	खगड़िया	1750000	2000000	750000	300000	200000	5000000	50000	0	9000	5059000	718/21
2	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रामबाग, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	206850	236400	88650	35460	23640	591000	0	0	0	591000	440/11
3	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पंचायती गया अखाड़ा, गया	गया	700000	800000	300000	120000	80000	2000000	0	0	0	2000000	589/9
4	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मोहनिया, कैमूर	कैमूर	534800	611200	229200	91680	61120	1528000	0	0	0	1528000	579/16
		कुल योग	3191650	3647600	1367850	547140	364760	9119000	50000	0	9000	9178000	

कुल (इकठानवे लाख अठ्ठत्तर हजार रु०)

निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण)

 29/11/17